Shodh International: A Multidisciplinary International Journal (In Hindi)
Vol. 1, Issue – 2015

संयुक्त राष्ट्र शांति परिरक्षा के समक्ष चुनौतियां एवं समाधान

डॉ0 विपिन कुमार शुक्ल*

शोध सारांश

शीत युद्ध की समाप्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है जिसने अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संबंधों को व्यापक रूप से प्रभावित किया। सोवियत संघ का विघटन एवं जर्मनी का एकीकरण जैसी अंतर्रष्ट्रीय राजनीतिक घटनाओं के साथ–साथ आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रवृत्तियों ने समेकित रूप से अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर एक नवीन दौर को जन्म दिया। इस बदले परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने में उसकी भूमिका भी प्रभावित हुई। विशेष रूप से शीत युद्ध के दौरान सामूहिक सुरक्षा के विकल्प के रूप में उभरे संयुक्त राष्ट्र शांति परिरक्षा के विचार को नवीन बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालने में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य इस नवीन परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र शांति परिरक्षा में अपघटित नवीन परिवर्तनों को रेखांकित करते हुए उसकी चुनौतियों का विश्लेषण एवं समाधान प्रस्तुत करना है।

शब्दकुंजी: शांति परिरक्षा, गृह युद्ध, नृजातीय दंगे, असफल राष्ट्र, मानवीय संकट, शांति निर्माण उपाय, शांति प्रवर्तन आदि।

भूमिका

संयुक्त राष्ट्र शांति परिरक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना की दिशा में संयुक्त राष्ट्र की एक महत्व पूर्ण सृजनात्मक खोज है जिसने शीतयुद्ध के दौर में संयुक्त राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान में भूमिका को प्रासंगिक बनाए रखा।

शीत युद्ध के दौरान जब महाशक्तियों के मध्य मतभेद के चलते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अपने मौलिक कर्तव्य अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना को पूर्ण करने में स्वयं को अक्षम पा रही थी ऐसी स्थिति में शांति परिरक्षा के विचार को सामूहिक सुरक्षा के एक विकल्प के रूप में खोजा गया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कहीं भी शांति परिरक्षा शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। वस्तुतः शांति परिरक्षा संयुक्त राष्ट्र के द्वितीय महासचिव दाग हैमर शोल्ड के 'निरोधात्मक राजनय' के विचार पर आधारित है जिसका अभिप्राय संयुक्त राष्ट्र के असंलग्न राज्यों के माध्यम से युद्ध का स्थानीयकरण करना होता है।

शांति परिरक्षा का आशय ''संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में विभिन्न देशों की सैनिक एवं

* वरिष्ठ प्रवक्ता, राजनीति विज्ञान, राज0 महा0 तिलहर, शाहजहांपुर।
E-mail Id: faagovtpgcollege@yahoo.in

© ***Eureka Journals 2015. All Rights Reserved.*** **ISSN: 2581-3501**

असैनिक टुकड़ियों की स्थानीय विवाद एवं संकट के क्षेत्रों में तैनाती से है जहां इनका मुख्य कार्य उक्त विवाद एवं संकटों का निष्पक्ष निवारण, समावेशन, विमंदन और समाप्ति होता है।'' अंतर–राज्यीय प्रकृति के इन विवादों के संदर्भ में नियुक्त किए जाने वाले शांति परिरक्षा मिशन कतिपय आधारभूत सिद्धांतों के आधार पर काम करते थे, यथा–विवादित पक्षों की सहमति, निष्पक्षता और हथियारों का न्यूनतम प्रयोग आदि इस दौर में शांति परिरक्षण दलों का मुख्य कार्य 'शांति पर्यवेक्षण' एवं 'शांति परिरक्षण' था। शीत युद्ध काल में शांति परिरक्षा के माध्यम से कई अवसरों पर संयुक्त राष्ट्र ने अंतर–राज्जीय विवादों का निवारण, विमंदन व समापन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान किया गया।

शीत युद्ध की समाप्ति और नवीन अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का उभार

शीत युद्ध की समाप्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है जिसने अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में व्यापक नवीन परिवर्तनों को जन्म दिया। सोवियत संघ का विखंडन एवं, जर्मनी का एकीकरण जैसी राजनीतिक घटनाओं के साथ–साथ आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की नवीन प्रवृत्तियों ने एक साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय संगठनों के संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक ढांचे को प्रभावित किया।

शीत युद्धोत्तर काल में उभरी नवीन प्रवृत्तियों को निम्नवत् रेखांकित किया जा सकता है–

1–शीत युद्धोत्तर काल की बदली हुई परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्यों के मध्य सहयोगात्मक युग की शुरुआत।

2–भूमंडलीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरुप भू–राजनैतिक एवं भू–सामरिक तत्वों के स्थान पर आर्थिक पक्ष को वरीयता।

3–भूमंडलीकरण के दौर में राज्य की जनता में राज्य से प्राप्त होने वाले लाभों को लेकर बड़ी आशाओं की उत्पत्ति एवं इन उम्मीदों को पूरा करने में राज्यों की असमर्थता।

4–भूमंडलीकरण और आर्थिक उदारीकरण के दौर में क्षीण होती राष्ट्र राज्य अवधारणा और असफल होती राज्य व्यवस्थाएं।

5–आर्थिक उदारीकरण के फलस्वरुप समाज में बढ़ती आर्थिक गैर बराबरी।

6–वैश्विक स्तर पर मानवीय सुरक्षा के प्रति बढ़ती चेतना।

7–वैश्विक स्तर पर समस्याओं की प्रकृति में अपघटित हो रहा परिवर्तन। इस दौर में अधिकांश विवाद/ संघर्ष पूर्ववर्ती अंतर–राज्यीय के विपरीत अंतरा–राज्यीय प्रकृति के हैं।

संयुक्त राष्ट्र शांति परिरक्षा पर नवीन अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का प्रभाव

उपर्युक्त नवीन प्रवृत्तियों का संयुक्त राष्ट्र विशेष तौर पर उसकी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने की क्षमता पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। इस दौर में उभरी गृह–युद्ध, नृजातीय संघर्ष और मानवीय संकट जैसी समस्याएं राज्य विशेष की सीमा के अंतर्गत उत्पन्न समस्याएं थी लेकिन इन से उत्पन्न पर्यावरण समस्या, शरणार्थी समस्या और आर्थिक असंतुलन को देश की सीमाओं में बाधा न जा सका और इन समस्याओं के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप अपरिहार्य हो गया। अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के अपरिहार्य होने के

© Eureka Journals 2015. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

पीछे दो प्रमुख कारण दिखाई देते हैं–प्रथम मानवीय संवेदना और द्वितीय बढ़ता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रभाव। फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र भी इन समस्याओं के समाधान में स्वयं के हस्तक्षेप से न रोक सका और इस हस्तक्षेप के निमित्त उसने अपनी सर्वाधिक सफल और परीक्षित तकनीकी शांति परिरक्षा का प्रयोग किया।

उल्लेखनीय है कि इन अंतरा–राज्यीय समस्याओं/ विवादों के समाधान हेतु संयुक्त राष्ट्र परिरक्षा में कतिपय अवश्यंभावी परिवर्तनों ने जन्म लिया। जिन्हें परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तनों की संज्ञा दी जाती है। परिमाणात्मक परिवर्तन से आशय शीत युद्धोत्तर काल में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में शांति परिरक्षा दलों की तैनाती में आई तीव्रता से है।शीत युद्ध के काल में जहां प्रथम 40 साल में केवल 13 शांति परिरक्षा बलों की तैनाती की गई वही अगले 13 मिशन की तैनाती में केवल 5 वर्ष लगे। यह सिलसिला लंबे समय तक जारी रहा। प्रथम बार 2010 में इस ग्राफ में कमी दिखाई दी। अब तक कुल 74 शांति रक्षा मिशन संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आरंभ किए गए जिनमें से वर्तमान में 14 शांति परिरक्षा मिशन अभी भी सक्रिय हैं। इस संख्यात्मक अभिवृद्धि के अतिरिक्त शांति परीक्षा दलों के आकार में भी वृद्धि हुई क्योंकि परंपरागत शांति परिरक्षा दल मूल रूप से सैंन्य प्रकृति के होते थे जबकि द्वितीय पीढ़ी के साथ परीक्षा दलों की प्रकृति बहुआयामी थी जिसमें सैनिक, नागरिक एवं प्रशासनिक संवर्ग के कार्मिक भी शामिल होते हैं।

गुणात्मक परिवर्तन से आशय शांति परिरक्षा दलों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों में होने वाले बदलाव एवं समस्या की प्रकृ ति से है। परंपरागत शांति परिरक्षा दलों द्वारा मूलतः सैनिक प्रकृति के कार्य संपादित किए जाते थे लेकिन द्वितीय पीढ़ी की शांति परिरक्षा दलों द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों में विविधता दिखाई देती है। उनके द्वारा प्राकृतिक आपदा और मानवीय संकट की स्थिति में सहायता (बोस्निया, सोमालिया, इराक) चुनाव पर्यवेक्षण एवं संपन्न कराना (क्रोएशिया), शरणार्थी पुनर्वास (पूर्व युगोस्लाविया, कंबोडिया, सोमालिया), कानून व्यवस्था स्थापित करना (सोमालिया, कंबोडिया), सैनिक एवं पुलिस प्रशिक्षण (हैती, कंबोडिया) तथा संघर्ष–संलग्न पक्षों का निशस्त्रीकरण (सोमालिया, कंबोडिया, एल साल्वाडोर) आदि। इसके अतिरिक्त उक्त अधिकांश समस्यायें राज्य की सीमाओं के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाली अंतरा–राज्यीय प्रकृति की थी।

द्वितीय पीढ़ी की शांति परिरक्षा के समक्ष चुनौतियां

बदली हुई अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में जब संयुक्त राष्ट्र शांति परिरक्षा को अंतरा–राज्यीय विवादों और संघर्षों से जूझना पड़ा तो उनके समक्ष अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें उन क्षेत्रों में तैनात किया गया जहां राज्य अवसंरचना ध्वस्त हो चुकी थी अथवा राज्य सरकारें शक्तिहीन हो चुकी थी और कानून व्यवस्था पंगु चुकी थी। उक्त स्थितियों में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है–संकल्पना आधारित समस्याएं एवं परिचालनात्मक समस्याएं।

संकल्पना आधारित समस्याएं

शीत युद्धोत्तर काल में जब संयुक्त राष्ट्र शांति परिरक्षा सेना की तैनाती गैर सहमति वाले वातावरण में अंतरा–राज्यीय समस्याओं के समाधान हेतु की जाने लगी, ऐसी स्थिति में शांति परिरक्षा सेना द्वारा अपने

© Eureka Journals 2015. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

आधारभूत सिद्धांतों–विवादित पक्षों की सहमति, निष्पक्षता और हथियारों का न्यून प्रयोग आदि का पूर्णतया पालन करना असंभव हो गया।

1–विवादित पक्षों की सहमति से संबंधित समस्या

परंपरागत शांति परिरक्षा दलो की समस्या ग्रस्त क्षेत्रों में नियुक्ति विवादित पक्षों की सहमति से की जाती थी। इसके पीछे आधारभूत अवधारणा यह थी कि शांति सेना की तैनाती हेतु सहमत विवादित पक्ष शांति परिरक्षा सेना को उसका प्राधिकार प्राप्त करने में सहयोग करेंगे। लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के बाद इस आधारभूत सिद्धांत का अनुपालन दुष्कर हो गया क्योंकि शीत युद्धोत्तर काल में शांति परिरक्षा सेना की तैनाती अधिकांशतः ऐसे क्षेत्रों में की गई जहां विवादित पक्षों के मध्य सहमति नहीं थी या शांति सेना विवादित पक्षों द्वारा दी गई सहमति पर विश्वास नहीं कर सकती थी। ऐसी 'संदेहास्पद सहमति' की स्थिति में संयुक्त राष्ट्र शांति परिरक्षा दलों को बेहतर प्रयास के द्वारा नागरिक सहयोग को प्राप्त करना था और यदि वह इस कार्य में वे असफल होते तो संयुक्त राष्ट्र के पास सेना की वापसी के अतिरिक्त एक ही विकल्प बचता था कि वह इस शांति रक्षा मिशन को शांति प्रवर्तन हेतु अधिकृत करे।

2–शांति परिरक्षण दलों की निष्पक्षता से संबंधित समस्या

संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को अंतरा–राज्यीय समस्याओं के संदर्भ में एक अन्य आधारभूत सिद्धांत निष्पक्षता के अनुपालन में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्योंकि परंपरागत शांति सेना समस्या ग्रस्त क्षेत्र में विवादित पक्षों की सहमति से तैनात की जाती थीऔर इस स्थिति में परंपरागत शांति सेना के द्वारा विवादित पक्षों के मध्य निष्पक्षता का पालन करना एक सहज कार्य था। परंतु शीत युद्ध उत्तर काल में जब शांति सेना की तैनाती एक गैर सहमति वातावरण में की जाने लगी तब असहमति के इस वातावरण में विवादित पक्ष प्रायः शांति दलों के कार्यों में विघ्न उत्पन्न करते हैं और ऐसी स्थिति में शांति सेना के लिए निष्पक्ष रहना मुश्किल होता है। विशेषकर गृहयुद्ध जैसी स्थिति में जब शांति सेनाओं को मानवीय सहायता पहुंचाने संबंधी या उन्हें अपने प्राधिकार का अनुपालन करना होता है ऐसी स्थिति में उन्हें किसी न किसी पक्ष के उपद्रवियों का निशाना बनना पड़ता है। फलस्वरूप अपनी सुरक्षा एवं प्राधिकार के क्रियान्वयन हेतु शांति परिरक्षा सेना के लिए निष्पक्ष रहना मुमकिन नहीं रह जाता।

3–हथियारों का गैर प्रयोग संबंधी समस्या

शीत युद्ध उत्तर काल में गैर सहमति अथवा असफल राष्ट्र में उत्पन्न होने वाली अंतरा–राज्यीय समस्याओं के क्षेत्र में तैनात की जाने वाली शांति परीक्षा दलों के लिए अपनी सुरक्षा और अपने प्राधिकार के क्रियान्वयन के लिए हथियारों के प्रयोग के विचार को स्वीकार किया गया क्योंकि ऐसे असहज वातावरण में शांति सेनाओं को हथियारों का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है।

परिचालन संबंधी समस्याएं

शीत युद्धोत्तर काल में जब शांति परिरक्षा सेनाओं को अंतरा–राज्यीय समस्याओं के संदर्भ में तीव्रता से तैनात किया जाने लगा, ऐसी स्थिति में उनके परिचालन में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे–

1–सैन्य बलों की उपलब्धता संबंधी समस्या

संयुक्त राष्ट्र के पास अपनी कोई स्थाई सेना न होने के कारण उसे शांति परिरक्षा बलों के लिए आवश्यक सैनिक एवं गैर

© Eureka Journals 2015. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

सैनिक बलों हेतु सदस्य राष्ट्रों पर निर्भर रहना होता है। शीत युद्धोत्तर दौर में जब अंतरा–राज्यीय समस्याओं के संदर्भ में शांति सेनाओं की तैनाती में एकाएक संख्यात्मक अभिवृद्धि हुई, ऐसी स्थिति में इन शांति मिशन हेतु इन बलों की उपलब्धता भी एक समस्या बनी। यद्यपि सदस्य राष्ट्रों द्वारा शांति सेना हेतु अपने सैनिकों को भेजने के प्रति उत्साह विद्यमान रहता है, लेकिन हाल के वर्षों में जब शांति सेना की तैनाती गैर सहमति वाले तथा ग्रह–युद्ध जैसी स्थिति वाली क्षेत्रों में की जाने लगी, तो सदस्य राष्ट्र के अपने सैनिकों को इन क्षेत्रों में भेजने हेतु अनिच्छुक हो रहे हैं।

2–तैनाती स्थल से शांति परिरक्षा बलों की एकाएक वापसी

शीत युद्ध काल की बदली हुई परिस्थितियों में जब शांति सुरक्षा दलों की तैनाती विषम परिस्थितियों में की जाने लगी ऐसी स्थिति में सदस्य राष्ट्रों द्वारा न केवल अपने सैन्य बलों को भेजने से इनकार किया गया वरन कभी–कभी यह भी देखा गया कि संकटग्रस्त क्षेत्र से राष्ट्रों ने अपने सैनिकों को वापस भी बुला लिया। उदाहरण के लिए जब सोमालिया में शांति परिरक्षा दलों को स्थानीय विद्रोहियों द्वारा निशाना बनाया गया तब अनेक सदस्य राष्ट्रों ने अपने सैनिकों को वहां से वापस बुला लिया था।

3–समस्या के क्षेत्र में शांति परिरक्षा दलों की तैनाती में होने वाली देरी

ऐसा भी देखा गया है कि शांति परिरक्षा बलों की तैनाती की घोषणा और समस्या ग्रस्त क्षेत्र में उनकी वास्तविक तैनाती के मध्य एक बड़ा समय लग जाता है।तैनाती में होने वाली देरी के पीछे कई कारण हैं। यथा–हिंसा ग्रस्त क्षेत्रों में अपने सैन्य बलों को भेजने की अनिच्छा, शांति परिरक्षा बलों को प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण तथा सैन्य साजो सामान मिलने में होने वाली देरी आदि।

4–नियंत्रण एवं आदेश संबंधी समस्या

चूंकि शांति परिरक्षा दल में विभिन्न देशों के सैन्य बल शामिल होते हैं, ऐसी स्थिति में शांति परिरक्षा दल के सैन्य कमांडर को उसे आदेशित एवं नियंत्रित करने में दिक्कतें आती हैं। विशेष रुप से शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब शांति परिरक्षा दलों का आकार काफी विस्तृत हो गया और इनमें बड़ी शक्तियों की सैन्य टुकड़िया भी शामिल होने लगीं, ऐसी स्थिति में नियंत्रण एवं आदेश की एकता एक समस्या बनकर उभरी।

5–समन्वय की समस्या

शीत युद्धोत्तर काल में शान्ति परिरक्षा दलों की प्रकृति में भी बदलाव दिखाई दिए। परंपरागत शांति परिरक्षा दल मूलतः सैन्य प्रकृति के हुआ करते थे परंतु शीत युद्धोत्तर काल की बदलती हुई परिस्थितियों में शांति परिरक्षा दलों में सैन्य के साथ–साथ नागरिक, पुलिस तथा मानवीय सहायता आदि गतिविधियों को शामिल किया गया। ऐसी स्थिति में इन विविध गतिविधियों के मध्य समन्वय स्थापित करना एक नवीन चुनौती बनकर उभरा। सोमालिया में तैनात दूसरे दौर के शांति परिरक्षा दल की असफलता हेतु शांति परिरक्षा दल में समन्वय की कमी को ही रेखांकित किया जाता है।

6–अनिवार्य सैन्य साजो सामान एवं प्रशिक्षण संबंधी समस्या

संयुक्त राष्ट्र परीक्षा दलों हेतु विभिन्न देशों से आए हुए सैनिकों के मध्य प्रशिक्षण और गुणवत्ता को लेकर विभिन्नता पाई जाती है। किसी समस्या के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र शांति परिरक्षा दलों की नियुक्ति से पहले यह अपरिहार्य हो जाता है कि सैन्य दलों को

© Eureka Journals 2015. All Rights Reserved.
ISSN: 2581-3501

एक आधारभूत स्तर तक का प्रशिक्षण प्राप्त हो क्योंकि इसके बिना संयुक्त राष्ट्र परिरक्षा दल की सफलता संदिग्ध हो जाती है। साथ ही साथ जब शांति परिरक्षा दल हेतु विभिन्न देशों के सैनिक भेजे जाते हैं तो प्रायः संपन्न राष्ट्रों के सैनिक अपने आवश्यक सैन्य साजो सामान के साथ संयुक्त राष्ट्र में रिपोर्ट करते हैं जबकि विकासशील एवं अल्प विकसित राष्ट्रों की सैन्य टुकड़ियों के हाथों में राइफल के अतिरिक्त कुछ अन्य सैन्य साजो सामान नहीं होता। ऐसी स्थिति में इन अल्पविकसित देशों से आए हुए सैनिकों के लिए आवश्यक सैन्य साजो सामान हेतु संयुक्त राष्ट्र को व्यवस्था करनी पड़ती है और इससे उस पर अतिरिक्त व्यय भार पड़ता है।

7–वित्त प्रबंधन संबंधी समस्या

शांति परिरक्षा दलों का वित्त पोषण करना संयुक्त राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि इस हेतु संयुक्त राष्ट्र पूर्ण रूप से सदस्य राष्ट्र द्वारा किए जाने वाले योगदान पर निर्भर होता है। इस निमित्त संयुक्त राष्ट्र में एक नियम बनाया गया है जिसके तहत सदस्य राष्ट्रों को अलग–अलग अनुपात में योगदान करना होता है लेकिन हाल के वर्षों में देखा गया है कि अधिकांश राष्ट्रों द्वारा अपने वित्तीय योगदान को समय पर न देने की वजह से वित्त संबंधी समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। इसके अतिरिक्त शीत युद्ध उत्तर काल में जब शांति परिरक्षा बलों की तैनाती में एक तेजी से उछाल आया तो वित्तीय संकट और गहराता चला गया।

समाधान और संभावनाएं

उक्त समस्याओं के चलते कतिपय संयुक्त राष्ट्र परिरक्षा दल अंतरराष्ट्रीय समुदाय की उम्मीदों पर पूरे रूप से खरे नहीं उतर सके। यही कारण है कि विद्वानों का एक समूह विशेष रूप से सोमालिया, पूर्व युगोस्लाविया, रवांडा हैती और सियरा लियोन आदि क्षेत्रों में तैनात किए गए शांति परिरक्षा दलो के संदर्भ में इसे संयुक्त राष्ट्र की विफलता के रूप में रेखांकित करते हैं। इन विद्वानों का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र इन अंतरा–राज्यीय प्रकृति की'जटिल समस्याओं' के समाधान हेतु सक्षम एवं तैयार नहीं है। उनका अभिमत है कि इन जटिल समस्या ग्रसित क्षेत्रों में तैनाती के दौरान परिरक्षा बलों द्वारा जिस मात्रा में हथियारों का प्रयोग किया गया और उस से भारी जन धन की हानि हुई। फल स्वरूप सदस्य राष्ट्रों द्वारा इन क्षेत्रों में अपने सैन्य बलों को भेजने के संदर्भ में असहजता दिखाई देती है। आलोचकों का अभिमत यह भी है कि नए दौर में शांति परिरक्षा दल अपने मौलिक नियमों से भटक गए हैं।

लेकिन उपर्युक्त आलोचनाओं और समस्याओं के बावजूद वर्तमान दौर में संयुक्त राष्ट्र शांति परिरक्षा का साधन अंतर–राज्यीय एवं अंतरा–राज्यीय समस्याओं के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा बहुतायत में प्रयोग किया जा रहा है। यही कारण है कि शांति परिरक्षा दलों की तैनाती में लगातार वृद्धि हो रही है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के अतिरिक्त कई अन्य क्षेत्रीय संगठन जैसे NATO, CIS और ECOWAS आदि ने स्वयं के शांति परिरक्षा दलों की स्थापना में रुचि दिखाई है एवं संयुक्त राष्ट्र के तत्वधान और उसके बाहर शांति परिरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास जारी हैं। इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र पूर्व महासचिव बी बी घाली की रिपोर्ट 'एजेंडा फॉर पीस' तथा 'ब्राह्मी पैनल' (2000) रिपोर्ट का जिक्र उल्लेखनीय है। उक्त दोनों अध्ययनों में संयुक्त राष्ट्र शांति परिरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए विस्तृत उपायों पर चर्चा की गई है। हाल

© Eureka Journals 2015. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

में ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून द्वारा संयुक्त राष्ट्र शांति परिरक्षा में सुधारों के मद्देनजर' एक उच्च स्तरीय स्वतंत्र पैनल का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति परिरक्षा में सुधार लाते हुए उसे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में स्थापित करने हेतु उपाय एवं सुझाव प्रस्तावित करने हैं।

उक्त प्रयासों के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र शांति परिरक्षा का भविष्य और उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि संयुक्त राष्ट्र एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में कितना सक्षम और ताकतवर संगठन है। इसके लिए अनिवार्य रूप से संयुक्त राष्ट्र में संरचनात्मक बदलाव के साथ साथ अवधारणागत परिवर्तन भी अपरिहार्य होंगे। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र शांति परीक्षा का भविष्य बात पर भी निर्भर करेगा कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए सदस्य राष्ट्रों विशेषकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्यों का समस्या के समाधान के प्रति कितना सकारात्मक रुख अपनाया जाता है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र को इन जटिल समस्याओं से निपटने के लिए उसे पर्याप्त निर्णय का अधिकार प्रदान करना होगा।

संदर्भ सूची

1. एलन जेम्सः ए रिव्यू ऑफ यू एन पीसकीपिंग, इण्टरनेशनल स्पेक्टेटर्स, नवम्बर 1993.
2. ब्रायन उर्कहर्टः प्रास्पेक्टस फॉर यू एन रैपिड रिसपान्स कैपेबिलिटी, कनाडा 1955.
3. बीबी घालीः पीस कीपिंग हजार्डस, वर्ल्ड फोकस, अक्टूबर 1994.
4. बारबरा बेन्टनः सोलजर फॉर पीस, न्यूयार्क 1995.
5. मराक गाउल्डिंगः दि एबलुसन ऑफ यू एन पीसकीपिंग, इण्टरनेशनल अफेयर्स, 1993.
6. राय सिंहः फाइनेन्सिएल कन्सट्रेन्टस, वर्ल्ड फोकस, अक्टूबर 1994.
7. शशि थरुरः शूड यू एन पीसकीपिंग "गो बैक टू बेसिक्स?", सरवाइवल, 1995–96.
8. सतीश नाम्बियारः यूनाइटेड नेशन्स पीस कीपिंग ऑपरेशन्स, नई दिल्ली 1995.
9. ठाकुर एण्ड स्नाबेलः यूनाइटेड नेशन्स पीस कीपिंग–एडहॉक मिशन्स एण्ड परमानेन्ट इनगेजमेंट, न्यूयार्क, 2001.
10. डब्लू जे डर्चः दि एबलुसन ऑफ यू एन पीसकीपिंग, न्यूयार्क, 1993.

© *Eureka Journals 2015. All Rights Reserved.* ISSN: 2581-3501